



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221788
CG-DL-E-17092020-221788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]
No. 363]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2020/भाद्र 25, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020/BHADRA 25, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2020

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एडिटिव्ज-1/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) संशोधन विनियम, 2018, का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं.0. स्टैंडर्ड्स/एडिटिव्ज-1/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 15 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18 अप्रैल, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) सातवाँ संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 जुलाई 2021 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के,-
 - (1) विनियम 3.3 के उप-विनियम 3.3.1 के खंड 4 में मद (xi) के पश्चात मद "(xii) 4,5 एपॉक्सी डेक-2(ट्रांस)-एनाल" अंतः स्थापित की जाएगी,
 - (2) परिशिष्ट क में "IV. खाद्य उत्पादों में खाद्य सहयोज्य पदार्थों का उपयोग" शीर्षक के अधीन,-
 - (क) प्रवर्ग 2.0 के उत्पादों को छोड़कर, डेयरी उत्पाद और सदृश से संबन्धित सारणी 1 में,-
 - (i) स्तम्भ (1) के अधीन खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 1.6.2 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ "प्रोपियानिक एसिड, सोडियम प्रोपियोनेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट" के पश्चात "पीमाराइसिन (नैटामाइसिन)" खाद्य सहयोज्य पदार्थ और स्तम्भ (4), (5) और (6) में उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) स्तम्भ (1) के अधीन खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 1.6.4.1 संबंधी प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ (6) में "फॉस्फोरस/कार्बोनेट/सिट्रेट/क्लोराइड के रूप में आकलित कुल लवण अंश 9,000 मिग्रा/किग्रा से अधिक न हो" प्रविष्टि के स्थान पर "33" प्रविष्टि रखी जाए।
 - (ख) वसा और तेल तथा वसा पायस से संबन्धित सारणी 2 में,-
 - (i) खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 2.1.2 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने,-
 - (क) स्तम्भ(2) में "वनस्पति तेल और वसा" खाद्य श्रेणी के नाम की जगह निम्नलिखित नाम रखा जाए, अर्थात्,-
"वनस्पति तेल, वसा और बेकरी शोर्टनिंग"
 - (ख) स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ "लेसिथिन" से संबन्धित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ (4) में "322(i)" प्रविष्टि के स्थान पर "322(i), 322(ii)" प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी;
 - (ग) स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य "मोनोग्लिसराइडसिट्रेट" प्रविष्टि के स्थान पर "ग्लिसराॉल के सिट्रिक और वसीय अम्ल एस्टर" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (घ) स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ "सोडियम सिट्रेट" से संबन्धित प्रविष्टि के सामने "331(iii)" प्रविष्टि के स्थान पर "331(i)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ड) स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ “थायोडाइप्रोपियोनेट” और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“ग्लिसरॉल के लैक्टिक और वसीय अम्ल एस्टर	472b	10,000 मिग्रा/किग्रा	408
वसीय अम्लों के मोनो और डाइग्लिसराइड	471	जीएमपी	408
वसीय अम्ल के पॉलिग्लिसरॉल एस्टर	475	5,000 मिग्रा/किग्रा	408”

(ii) स्तम्भ (1) के अधीन खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 2.2.2 से संबन्धित प्रविष्टियों के सामने,-

(क) स्तम्भ (2) में “फैट स्प्रेड, डेयरी फैट स्प्रेड और मिश्र स्प्रेड (मारगरीन, बेकरी शोर्टनिंग और फैट स्प्रेड)” खाद्य प्रवर्ग के नाम के स्थान पर “फैट स्प्रेड, डेयरी फैट स्प्रेड और मिश्र स्प्रेड (मारगरीन और फैट स्प्रेड)” नाम रखा जाएगा;

(ख) स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ “सोर्बेट” के सामने स्तम्भ (5) में “2,000 मिग्रा/किग्रा” प्रविष्टि के स्थान पर “1,000 मिग्रा/किग्रा” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ “इथाईलीनडायामाइन टेट्रा एसिटेट (ईडीटीए)” के सामने स्तम्भ (5) में “100 मिग्रा/किग्रा” प्रविष्टि के स्थान पर ‘50 मिग्रा/किग्रा’ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) सारणी 5 में खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 5.3 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने खाद्य सहयोज्य पदार्थ “माइक्रोक्रिस्टेलिन वैक्स” के सामने स्तम्भ (3) में, स्तम्भ (5) से स्तम्भ (6) तक की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्,-

20,000 मिग्रा/किग्रा	3”;
----------------------	-----

(घ) सारणी 6 में, स्तम्भ (1) के अधीन सीरेल और सीरेल उत्पाद से संबन्धित खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 6.2.1 और 6.2.2 से संबन्धित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ “पोटाशियम आयोडेट” और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ड) स्तम्भ (1) के अधीन बेकरी उत्पाद से संबन्धित सारणी 7 में खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 7.2.1 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ ‘पोटाशियम आयोडेट’ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(च) स्तम्भ (1) के अधीन नमक, मसाला, सूप, सलाद और प्रोटीन उत्पादों से संबन्धित सारणी 12 में खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 12.2.2 से संबन्धित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य पदार्थ “फॉस्फेट” के सामने स्तम्भ (6) में “26” प्रविष्टि के स्थान पर “226” प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (3) उक्त विनियमों में सारणी 1 से 15 में उल्लिखित खाद्य सहयोज्य पदार्थों की टिप्पण में टिप्पण संख्या 340 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएँगी, अर्थात्,-

“408	केवल बेकरी शोर्टनिंग के लिए”।
------	-------------------------------

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./220/2020]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनका निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन हुआ था –

- 1) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- 2) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीएफ/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- 3) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- 4) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- 5) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई-पीएन-अधि/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- 6) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- 7) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 8) फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 9) फा. सं. पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 10) फा. सं. पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 11) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 12) फा. सं. 1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिशएंडफिशरिजप्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- 13) फा. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्यसहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- 14) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- 15) फा. सं. 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई- 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- 16) फा. सं. 1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- 17) फा. सं.1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- 18) फा. सं. /11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2017, तारीख 5 सितंबर, 2016;
- 19) फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- 20) फा. सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 21) फा. सं. 1-110(2)/एसपी (जैविकखतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 22) फा. सं. मानक/एसपी(जलएवंपेय)/अधि.(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्टूबर, 2016;
- 23) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जलऔरसुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- 24) फा. सं. पी./15025/93/2011-पीएफ/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;
- 25) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफ/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;

- 26) फा. सं. मानक/ओ.एंडएफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- 27) फा. सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 28) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्यऔरमत्स्यउत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 29) फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- 30) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून, 2017;
- 31) फा. सं.1/योजक/मानक/14.2.अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 तारीख 31 जुलाई, 2017;
- 32) फा. सं. मानक/एफएवंवीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017
- 33) फा. सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- 34) फा. सं. मानक/एम. एंडएम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15सितंबर, 2017;
- 35) फा. सं. मानक/एसपी (पानीएवंपेय)/अधि. (1)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 36) फा. सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछलीऔरमछलीउत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 37) फा. सं. 2/मानक/सीपीएल&सीपी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- 38) फा. सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- 39) फा. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016,12 अक्टूबर, 2017;
- 40) फा. सं. 2/स्टैंडस/सीपीएल&सीपी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016(भाग) , तारीख 24 अक्टूबर, 2017;
- 41) फा. सं. ए-1/मानक/एगमाक/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 42) फा. सं. 1/योजक/मानक/बीआईएसअधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 43) फा. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी,2018;
- 44) फा. सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टीफाईड और एनरिचड फूड)-रेग/एफ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- 45) फा. सं. 1/शिशुपोषण/मानक/अधिसूचना/भा.खा.सु.माँ.प्रा/2016 तारीख 13 मार्च, 2018;
- 46) फा. सं. 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;
- 47) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच /अधिसूचना (03)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;
- 48) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ सीपीएल एंड सीपी –एफएसएसएआई/अधिसूचना/ 2016, तारीख 4 मई, 2018;
- 49) फा. सं. मानक/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस/लोलीस अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 50) फा. सं. मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 51) फा. सं. मानक/सीपीएलऔरसीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
- 52) फा. सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018;
- 53) फा. सं. मानक/03/अधिसूचना (सीएफओआई तथा वाईसी)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 16 नवंबर, 2018;
- 54) फा. सं. मानक/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(7)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 55) फा. सं. मानक/एम एंड एमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19नवंबर, 2018;
- 56) फा. सं. मानक/एफ&वीपी/अधिसूचना(04)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 57) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/नोटिफिकेशंस/2010-एफ.एस.एस.ए.आई,तारीख26 नवम्बर, 2018;

- 58) फा. सं. 02-01/ ईएनएफ-1 (1)/एफएसएसएआई-2012, तारीख 29 जनवरी, 2019;
- 59) फा. सं. एसटीडीएस/एफ एंड वीपी/अधिसूचना(07)/एफएसएसएआई-2018, तारीख 5 जुलाई, 2019;
- 60) फा. सं. मानक/ओ एवं एफ/ अधिसूचना (10)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 5 जुलाई, 2019;
- 61) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी(जल और पेय)/अधिसूचना(5)एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 30 अक्टूबर 2019;
- 62) फा. सं. एम एंड एमपी/विविध मानक/अधिसूचना (03)/एफएसएसएआई-2018, तारीख 28 नवंबर, 2019;
- 63) फा. सं. 1-110/एसपी(जैविक खतरे)/संशोधन-1/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 23 जून, 2020;
- 64) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएलएंडसीपी/अधिसूचना/01/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 9 जुलाई, 2020;
- 65) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएल एंड सीपी/अधिसूचना/01/एफएसएसएआई-2017, तारीख 9 जुलाई, 2020;
- 66) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एमएंडएमपीआईपी(3)/एसपी/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 9 जुलाई, 2020;
- 67) फा. सं. ए-1/स्टैंडर्ड्स/एगमा1क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई (पी+1), तारीख 23 जुलाई, 2020; और
- 68) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एमएंड एमरी/अधिसूचना (04)/एफ.एस.एस.ए.आई-2019, तारीख 2 सितंबर, 2020।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2020

F. No. Stds/Additives-1/Notification/FSSAI/2018.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2019, were published as required by the subsection (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, Food Safety and Standards Authority of India F. No. F.No. Stds/Additives-1/Notification/FSSAI/2018, dated the 15th April, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 18th April, 2019;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

REGULATIONS

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Seventh Amendment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2021.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as said regulation),
(1) in clause 4 of sub-regulation 3.3.1 of regulation 3.3, after item (xi), the item "(xii) 4,5 epoxydec-2(trans)-enal" shall be inserted,

(2) in Appendix A, under the heading “IV. USE OF FOOD ADDITIVES IN FOOD PRODUCTS”,-

(a) In Table 1, relating to Dairy products and analogues, excluding products of category 2.0-

(i) under column (1) against the entries relating to the Food Category System 1.6.2, in column (3), after the food additive “Propionic acid, sodium propionate, calcium propionate”, the food additive “Pimaricin (Natamicin)” and the entries relating thereto in column (4), (5) and (6) shall be omitted;

(ii) under column (1) against the entries relating to Food Category System 1.6.4.1, in column (6), for the entry “Total salt content should not exceed 9,000 mg/kg calculated as phosphorous/ carbonates/citrate/ chloride”, the entry “33” shall be substituted;

(b) In Table 2 relating to Fats and oils and fat emulsions;

(i) under column (1) against the entries relating to in Food Category System 2.1.2,-

(A) in column (2), for the Food Category Name “Vegetable oils and fats”, “Vegetable oils, fats and bakery shortenings” shall be substituted;

(B) in column (3), against the entry relating to Food Additive “Lecithin” in column (4), for the entry “322 (i)”, the entries “322 (i), 322 (ii)” shall be substituted;

(C) in the column (3), for the entry relating to Food Additive “Monoglyceride citrate”, the entry “Citric and fatty acid esters of glycerol” shall be substituted;

(D) in column (3), against the entry relating to Food Additive “Sodium Citrate” in column (4) for the entry “331(iii)”, the entries “331(i)” shall be substituted;

(E) in column(3) after the food additive “**THIODIPROPIONATES**” and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“Lactic and fatty acid esters of glycerol	472b	10,000 mg/kg	408
Mono and diglycerides of fatty acids	471	GMP	408
Polyglycerol esters of fatty acid	475	5,000 mg/kg	408;”

(ii) under column (1) against the entries relating to food category system 2.2.2,-

(A) in column (2), for entry relating to Food Category Name “Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads (margarine, bakery shortenings and fat spreads)”, the entry “Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads (margarine and fat spreads)”

shall be substituted;

(B) in column (3), against the food additive “SORBATES”, in column (5) for the entry “2,000 mg/kg”, the entry “1,000 mg/kg” shall be substituted;

(C) in column (3), against the food additive “ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES (EDTA)”, in column (5) for the entry “100 mg/kg”, the entry “50 mg/kg” shall be substituted;

(c) In Table 5 relating to Confectionary, under column (1) against the entries relating to Food Category System 5.3, in column (3) against the Food Additive “Microcrystalline wax”, for the entries in columns (5) to (6), the following entries shall be substituted respectively, namely:-

20,000 mg/kg	3”;
--------------	-----

(d) in Table 6 relating to Cereals and cereal products, under column (1) against the entries relating to Food Category System 6.2.1 and 6.2.2, in column (3), the Food Additive “Potassium iodate” and the entries relating thereto, shall be omitted;

(e) in Table 7 relating to Bakery Products, under column (1) against the entries relating to Food Category System 7.2.1, in column (3), the Food Additive “Potassium iodate” and the entries relating thereto, shall be omitted;

(f) in Table 12 relating to Salts, spices, soups, salads and protein products, under column (1) against the entries relating to Food Category System 12.2.2, in column (3) against the Food Additive “PHOSPHATES” in column (6), for the entry “26”, the entry “226” shall be substituted;

(3) In the said regulations, in the Notes to the Food Additives mentioned in the Table 1 to 15, after the Note No. 340 and the entries relating thereto, the following Note No. and entries shall be inserted, namely:-

“408	Only for bakery shortening”;
------	------------------------------

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./220/2020]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification.

- 1) F. No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- 2) F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- 3) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- 4) F. No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
- 5) F. No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- 6) F. No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- 7) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 8) F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 9) F. No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- 10) F. No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- 11) F. No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
- 12) F. No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- 13) F. No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- 14) F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- 15) F. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- 16) F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- 17) F. No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;

- 18) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- 19) F. No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- 20) F. No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- 21) F. No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- 22) F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- 23) F. No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- 24) F. No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- 25) F. No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- 26) F. No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
- 27) F. No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
- 28) F. No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- 29) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- 30) F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- 31) F. No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- 32) F. No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;
- 33) F. No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
- 34) F. No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
- 35) F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;
- 36) F. No. 1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September, 2017;
- 37) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
- 38) F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
- 39) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
- 40) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
- 41) F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
- 42) F. No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;
- 43) F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February , 2018;
- 44) F. No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;
- 45) F. No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 13th March, 2018;
- 46) F. No. 1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
- 47) F. No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
- 48) F. No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;
- 49) F. No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, Dated 20th July,2018;
- 50) F. No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, Dated 20th July,2018;
- 51) F. No. Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, Dated 31st July, 2018;
- 52) F. No. 1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, Dated 8th November, 2018and

- 53) F. No. Stds/03/Notification (CFOI&YC)/FSSAI-2017, Dated 16th November, 2018.
- 54) F. No. Stds/O&F/Notification (7)/FSSAI-2017, dated 19th November, 2018;
- 55) F. No. Stds/M&MP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;
- 56) F. No. Stds/F&VP/Notifications (04)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;
- 57) F. No. 1-116/Scientific Committee (Noti.)/2010-FSSAI, dated 26th November, 2018;
- 58) F. No. 02-01/Enf-1(1)/FSSAI-2012, dated 29th January, 2019;
- 59) F. No. Stds/F&VP/Notification (07)/FSSAI-2018, dated 5th July, 2019;
- 60) F. No. Stds/O&F/Notification(10)/FSSAI-2017, dated 5th July, 2019;
- 61) F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notification(5) FSSAI-2018, dated 30th October, 2019 ;
- 62) F. No. M&MP/Misc. Stds/Notification (03)/FSSAI-2018, dated 28th November, 2019;
- 63) F. No. 1-110/SP (Biological Hazards)/Amendment-1/FSSAI/2018, dated 23rd June, 2020;
- 64) F. No. Stds/CPL & CP/Notification/01/FSSAI-2018, dated 9th July, 2020;
- 65) F. No. Stds/CPL & CP/Notification/01/FSSAI-2017, dated 9th July, 2020;
- 66) F. No. Stds/ M&MPIP (3)/SP/FSSAI-2018, dated 9th July, 2020;
- 67) F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI (p+1) , dated 23rd July, 2020; and
- 68) F. No. Stds./M&MP/Notification (04)/FSSAI-2019, dated 2nd September, 2020.